

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2700 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

PANKES RANJAN

Father's Name- P.K.MISHRA

Address- RASULPUR ZILANI KAZIMOHAMDPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- Not Available

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06F0666 परमिट संख्या 000188/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06F0666 का फिटनेश दिनांक 14/11/2019 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06F0666	000188/2014	30/09/2024	14/11/2019


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/11/2019	28/02/2019	na	na

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2701 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

ARUN KUMAR SINGH

Father's Name- S/O - NAGESHWAR SINGH

Address- AT- SINGHARHIA SITAMARHI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR

999999

Mobile No.- 9835833937

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA8544 परमिट संख्या 455/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA8544 का फिटनेश दिनांक 25/12/2019 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8544	455/2019	13/09/2024	25/12/2019

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/05/2024	09/01/2025	11/11/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2702 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAM SUNDRA RAI

Father's Name- NARSINGH RAI

Address- NAYA TOLA NAYA TOLA MUZAFFARPUR PATNA BIHAR 999999

Mobile No.- Not Available

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR1P9503 परमिट संख्या 000126/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1P9503 का फिटनेश दिनांक 14/01/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR1P9503	000126/2014	08/07/2024	14/01/2020


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2020	03/01/2020	NA	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2703 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AJEET KUMAR

Father's Name- HARI SINGH

Address- LOMA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mobile No.- Not Available

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06D7615 परमिट संख्या 352/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06D7615 का फिटनेश दिनांक 18/01/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06D7615	352/2019	09/09/2024	18/01/2020


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2020	25/01/2019	NA	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2704 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAM EKWAL RAI

Father's Name- SIGESHBAR RAI

Address- BHARAULIA BHARAULIA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mobile No.- 7890000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P5587 परमिट संख्या 0273/2009 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5587 का फिटनेश दिनांक 20/02/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5587	0273/2009	26/07/2024	20/02/2020


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/08/2024	05/06/2020	10/08/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2705 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SHEELA MISHRA

Father's Name- W/O M K MISHRA

**Address- AT-NARAHAN NIWAS MAGARDAHI SAMASTIPUR SAMASTIPUR
SAMASTIPUR BIHAR 848101**

Mobile No.- 9430998999

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR33P5139 परमिट संख्या
106/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR33P5139 का फिटनेश दिनांक 21/02/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR33P5139	106/2019	11/04/2024	21/02/2020


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/02/2020	16/03/2020	09/03/2020	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2706 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAJENDRA PD

Father's Name- S/O LAXMI PD

Address- AT PATAWRA E CHAMPARAN E CHAMPARAN PURBA

CHAMPARAN BIHAR 999999

Mobile No.- Not Available

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P5961 परमिट संख्या 00213/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5961 का फिटनेश दिनांक 22/02/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5961	00213/2014	04/10/2024	22/02/2020


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/07/2022	05/04/2022	04/04/2022	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2707 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AJIJUR RAHMAN

Father's Name- S/O MD WASI AKHTAR

Address- JAMUA DHAKA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845418

Mobile No.- 7780007779

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD7620 परमिट संख्या 362/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD7620 का फिटनेश दिनांक 24/04/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7620	362/2019	09/09/2024	24/04/2020


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2021	29/10/2021	31/03/2022	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2708 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

PRANAY KR.THAKUR

Father's Name- KRISHNANDAN THAKUR

Address- SHAHAWAZPUR AHIYAPUR MUZ MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- Not Available

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P9401 परमिट संख्या 00022/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P9401 का फिटनेश दिनांक 13/05/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P9401	00022/2014	10/06/2024	13/05/2020


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/06/2021	13/06/2020	NA	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2709 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

M/S ANAND TREVELS

Father's Name- M/D ANAND KR.SINGH

Address- KOLHUA DADAR AHYAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mobile No.- Not Available

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P1966 परमिट संख्या 0128/2009 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P1966 का फिटनेश दिनांक 17/05/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P1966	0128/2009	25/05/2024	17/05/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/04/2021	10/09/2019	na	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2710 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SUBODH KUMAR

Father's Name- S/O BINDESHWAR MISHRA

Address- AT- B JAYANARAYAN SILOUT MUZAFFARPUR BIHAR 848101

Mobile No.- 9852967239

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR33P4879** परमिट संख्या **107/2019** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR33P4879 का फिटनेश दिनांक 15/07/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR33P4879	107/2019	11/04/2024	15/07/2020


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/06/2020	26/07/2020	29/06/2020	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2711 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAMAKANT MISHRA

Father's Name- LT.SHIV PRASAN MISRA

Address- SOTI BHERIYAH I KANTI MUZ MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- Not Available

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06P8796** परमिट संख्या **000020/2014** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P8796 का फिटनेश दिनांक 03/08/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8796	000020/2014	10/06/2024	03/08/2020


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/07/2024	08/02/2022	01/11/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2712/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SARASWATI SHISHU MAN

Father's Name- PRO. OM PRAKASH MASK

Address- MILAN AUTO BODY BUIL KANKERBAGH, PATNA PATNA BIHAR 999999

Mobile No.- 9430820887

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR1P8394 परमिट संख्या 472/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1P8394 का फिटनेश दिनांक 07/08/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR1P8394	472/2019	15/09/2024	07/08/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/06/2021	31/07/2020	na	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2713 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SRINATH RAY

Father's Name- RAM SWARTH RAY

Address- CHAINPUR PUPRI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843320

Mobile No.- 9201219128

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR30P0199 परमिट संख्या 000275/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30P0199 का फिटनेश दिनांक 30/10/2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30P0199	000275/2014	10/10/2024	30/10/2020


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/07/2023	10/10/2020	16/04/2020	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2714 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SHYAM BIHARI

Father's Name- MAHENDRA NR.CHAUDHAR

Address- KHARAUNA KURHANI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mobile No.- 8900000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06P9813** परमिट संख्या **165/2019** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P9813 का फिटनेश दिनांक 03/01/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P9813	165/2019	11/04/2024	03/01/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/04/2020	30/01/2019	NA	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2715 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AWADHESH KUMAR

Father's Name- NAND KISHORE SINGH

Address- KRISHNAPURI BHAGWANP SADAR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 8899000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06E9696 परमिट संख्या 225/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06E9696 का फिटनेश दिनांक 09/01/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06E9696	225/2019	30/05/2024	09/01/2021


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/08/2024	16/10/2019	02/11/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2716/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MS ANAND TRAVELES

Father's Name- I/C PARTNER ANAND KUMAR SINGH

Address- AT KOLHUA DADAR PO GPO PS AHYAPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- Not Available

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB3477 परमिट संख्या 376/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB3477 का फिटनेश दिनांक 17/05/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB3477	376/2019	09/09/2024	17/05/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/10/2020	18/08/2020	NA	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2717 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SHYAM BIHARI

Father's Name- S/O MAHENDRA NR CHOUDHARY

Address- AT 121 T/V KHARAUNADIH ANCHAL KURHANI MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 9934426820

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PB9939** परमिट संख्या **0114/2014** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB9939 का फिटनेश दिनांक 01/07/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB9939	0114/2014	28/06/2024	01/07/2021


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2020	19/07/2019	na	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2718 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NILESH KUMAR

Father's Name- SURESH PD YADAV

**Address- FLAT NO 201 TRUPATI ENCLAVE NEHRU NAGAR PATLIPUTRA
PATNA BIHAR 800001**

Mobile No.- 9234930333

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE5858 परमिट संख्या 465/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE5858 का फिटनेश दिनांक 04/07/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5858	465/2019	13/09/2024	04/07/2021


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/10/2019	25/06/2020	07/09/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2719 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

BIMLESH KUMAR

Father's Name- S/O ARUN KUMAR SINGH

Address- 197 SINGARAHIIYA SAHIYARA SITAMARHI SITAMARHI BIHAR

843302

Mobile No.- 7678338488

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR30P6778** परमिट संख्या **250/2019** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30P6778 का फिटनेश दिनांक 02/08/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30P6778	250/2019	13/08/2024	02/08/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/03/2024	03/11/2021	02/04/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2720 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MD SIKANDAR ALAM

Father's Name- ISMAIL ANSARI

Address- MANIKPUR TURKAULIA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845437

Mobile No.- 9199297989

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE4250 परमिट संख्या 435/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE4250 का फिटनेश दिनांक 06/09/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4250	435/2019	12/09/2024	06/09/2021


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/08/2024	31/05/2025	19/07/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2721 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

KUNAL

Father's Name- S/O - SRI JAI PRAKASH PANDEY

Address- AT-HARDIYA PO-ARERAJ MOTIHARI PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845411

Mobile No.- 7717723422

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR05PA0906** परमिट संख्या **BR2020-SC-0394A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PA0906 का फिटनेश दिनांक 09/10/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA0906	BR2020-SC-0394A	20/03/2025	09/10/2021


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/10/2021	02/02/2022	18/08/2021	na

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2722 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AWADHESHKUMAR

Father's Name- NAND KISHORE SINGH

Address- KRISHNAPURI ASHIRVAD BHAWAN BHAGWANPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 9935224877

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB6896 परमिट संख्या 0150/2009 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB6896 का फिटनेश दिनांक 11/10/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB6896	0150/2009	28/05/2024	11/10/2021


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/07/2024	08/10/2019	03/05/2025	20/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2723 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

UDAYSHANKER PD.SINGH

Father's Name- LT.DHARMDEV PD.SINGH

Address- SHERPUR BELA SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR
842001

Mobile No.- 9471665407

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P2516 परमिट संख्या BR/106/SC/BUS/2019/86 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2516 का फिटनेश दिनांक 13/10/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P2516	BR/106/SC/BUS/ 2019/86	16/12/2024	13/10/2021


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/11/2021	20/09/2021	16/10/2021	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2724 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NARESH KUMAR

Father's Name- NAND LAL SAHANI

**Address- NAYA TOLA SPEAKER CH KAZIMAHMADPUR MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999**

Mobile No.- 8900000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P5153 परमिट संख्या 290/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5153 का फिटनेश दिनांक 22/11/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5153	290/2019	05/09/2024	22/11/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/10/2022	22/11/2021	07/02/2023	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2725 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SANJEEV KUMAR

Father's Name- S/O HARI KUMAR SINGH

Address- VILL SARIYA BAZAR POSARIYA PS PAROO O P DEPRIA

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 8900000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA6551 परमिट संख्या 017/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA6551 का फिटनेश दिनांक 14/12/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA6551	017/2019	07/04/2024	14/12/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/07/2022	13/12/2021	15/09/2023	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2726 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MAN MARDHAN SHUKLA

Father's Name- S/O LATE RAMDAS SHUKLA

Address- AT NAYA TOLA PO SPEAKE CHOWK MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 8890000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD3151 परमिट संख्या 091/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD3151 का फिटनेश दिनांक 17/12/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD3151	091/2019	10/04/2024	17/12/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/06/2024	15/09/2021	07/12/2021	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2727 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NITESH KR.

Father's Name- S/O -SRI KAUSHAL KISHOR SINGH

Address- AT-PO-PS-PAHARPUR PAHARPUR MOTIHARI PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845401

Mobile No.- 9504799488

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR05P2929** परमिट संख्या **00069/2014** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P2929 का फिटनेश दिनांक 29/12/2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P2929	00069/2014	19/06/2024	29/12/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/07/2022	28/02/2023	28/06/2021	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2728 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SMT.GEETA DEVI

Father's Name- ANIL KUMAR

Address- KESARIA KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR
845405

Mobile No.- 9430412550

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P5608 परमिट संख्या 536/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5608 का फिटनेश दिनांक 03/03/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5608	536/2019	23/09/2024	03/03/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/02/2023	30/03/2023	14/09/2022	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2729 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SARASWATI DEVI

Father's Name- W/O RAMAKANT MISHRA

**Address- AT SOTI BHERIYATI PO HARIDASPUR PS KANTI MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999**

Mobile No.- 9334052290

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC9096 परमिट संख्या
25/2005 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC9096 का फिटनेश दिनांक 10/03/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9096	25/2005	08/09/2025	10/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/06/2024	15/09/2021	14/05/2025	16/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2730 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MRS.GEETA DEVI

Father's Name- ANIL KUMAR

**Address- KESARIA KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR
845405**

Mobile No.- 9430412550

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P1819 परमिट संख्या
00088/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P1819 का फिटनेश दिनांक 11/03/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P1819	00088/2014	19/06/2024	11/03/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/07/2024	19/06/2020	31/08/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2731 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

CHANDRA BHUSHAN SHARMA

Father's Name- S/O RAM MANOHAR PANDAY

Address- C/O BIJAY KUMAR JHA D-92, PC COLONY, KANKARBAGH PATNA PATNA BIHAR 999999

Mobile No.- 9162857219

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PA7543 परमिट संख्या 308/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PA7543 का फिटनेश दिनांक 12/03/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PA7543	308/2019	06/09/2024	12/03/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/09/2024	28/02/2022	21/08/2022	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2732 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SMT.GITA DEVI

Father's Name- W/O ANIL KUMAR

Address- KESHARIYA KESHARIYA E.CHAMPARAN PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845405

Mobile No.- 9430412550

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P0936 परमिट संख्या 538/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P0936 का फिटनेश दिनांक 17/03/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P0936	538/2019	23/09/2024	17/03/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/08/2024	13/03/2022	31/08/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2733 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NISHANT CHANDRA

Father's Name- S/O- LATE DHARMENDRA PRASAD

Address- AT- KOLHACHAK DHANARUA SAIN PATNA BIHAR 804451

Mobile No.- 7004799500

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PN0051 परमिट संख्या BR2023-SC-1886A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PN0051 का फिटनेश दिनांक 26/03/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PN0051	BR2023-SC-1886A	04/07/2028	26/03/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/12/2023	30/03/2025	16/04/2024	21/09/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2734 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

PRAVANJAN KUMAR THAK

Father's Name- CHNADRA SHEKHAR THAK

Address- BHAWANIPUR JIRAT MOT BHAWANIPUR E.CHAMPARAN

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 8051610661

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06E5996 परमिट संख्या 0223/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06E5996 का फिटनेश दिनांक 03/06/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06E5996	0223/2014	06/10/2024	03/06/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/06/2024	10/02/2022	02/11/2024	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2735 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

JITENDRA KUMAR SINGH

Father's Name- S/O -YUGAL KISHOR SINGH

Address- AT-PARAS PAKDI PS-MAJHAULIA BETTIAH PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845454

Mobile No.- 7004410856

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR22B7321 परमिट संख्या 177/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22B7321 का फिटनेश दिनांक 07/07/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22B7321	177/2019	11/04/2024	07/07/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/06/2024	13/10/2024	21/01/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2736 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

KRISHNDEV PRASAD

Father's Name- S/O -DEVENANDAN PRASAD

Address- KHALRATOLA PAHI VILL-KHALRA-2 ANCHAL-THAKARAHA
BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mobile No.- 9661012771

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR22P2343** परमिट संख्या **00089/2014** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P2343 का फिटनेश दिनांक 14/07/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P2343	00089/2014	20/06/2024	14/07/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/07/2024	12/07/2022	03/05/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2737 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RANJAY KUMAR TIWARI

Father's Name- RAM NARESH TIWARI

Address- ALAPUR MAJHAGARH GOPALGANJ BIHAR 841412

Mobile No.- 9430400096

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA0150 परमिट संख्या 563/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA0150 का फिटनेश दिनांक 18/07/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0150	563/2019	30/09/2024	18/07/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/07/2022	29/06/2022	08/09/2022	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2738 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RADHE SHYAM TIWARI

Father's Name- VISHWANATH TIWARI

Address- JAY PRAKASH NAGAR CHANDWARA TOWN MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mobile No.- 7890000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P2653 परमिट संख्या 564/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2653 का फिटनेश दिनांक 21/07/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P2653	564/2019	29/09/2024	21/07/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2023	04/04/2022	27/01/2022	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2739 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MINU SINGH

Father's Name- W/O LT. PREM NATH SINGH

Address- AT+PS-MIRGANJ DIST-GOPALGANJ GOPALGANJ GOPALGANJ

BIHAR 841428

Mobile No.- 8292992434

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR28C2151 परमिट संख्या 548/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28C2151 का फिटनेश दिनांक 31/08/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28C2151	548/2019	28/09/2024	31/08/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/12/2021	05/07/2020	27/02/2022	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2740 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAM JATAN SINGH

Father's Name- S/O RAM LAKHAN SINGH

Address- CHAK KANCHANPUR RAMPUR BIDUPUR VAISHALI VAISHALI

BIHAR 844101

Mobile No.- 9561028582

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06P2086** परमिट संख्या **BR2021-SC-2917A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2086 का फिटनेश दिनांक 20/09/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P2086	BR2021-SC-2917A	29/11/2026	20/09/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/08/2024	12/07/2023	08/07/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2741 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SHUBHASISH

Father's Name- S/O BIRENDRA KR SINGH

Address- NAYA TOLA KAZIMDPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mobile No.- 9905989860

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PC3872** परमिट संख्या **251/2019** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC3872 का फिटनेश दिनांक 28/09/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3872	251/2019	04/09/2024	28/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/01/2022	01/09/2023	16/05/2024	17/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2742 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

ARVIND SINGH

Father's Name- S/O -RAM NARAYAN SINGH

Address- AT-LAUKAHA ANC-PAHARPUR MOTIHARI PURBA CHAMPARAN
BIHAR 845401

Mobile No.- 9472699296

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR05P8817 परमिट संख्या 456/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P8817 का फिटनेश दिनांक 07/10/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P8817	456/2019	13/09/2024	07/10/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/09/2022	23/09/2022	25/11/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2743 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAJESH KR SINGH

Father's Name- S/O BALDEV SINGH

Address- AT MAHUA SINGH ROY PO+PS MAHUA VAISHALI VAISHALI

BIHAR 844101

Mobile No.- 8900000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P3141 परमिट संख्या 000270/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3141 का फिटनेश दिनांक 28/10/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3141	000270/2014	08/10/2024	28/10/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2744 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

PREM KR CHOUDHARY

Father's Name- S/O RAMA NAND CHOUDHARY

**Address- 67 MARIPUR MUSHHARI FARM MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842001**

Mobile No.- 7654324550

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या JH01T9550 परमिट संख्या
00244/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या JH01T9550 का फिटनेश दिनांक 03/11/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
JH01T9550	00244/2014	07/10/2024	03/11/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/10/2022	07/03/2022	24/01/2023	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2745 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

GEETA DEVI

Father's Name- W/O SATRUDHAN THAKUR

Address- AT-MADHAUL PO-SUSTA PS-KUDHANI MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 8998000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA8640 परमिट संख्या 00111/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA8640 का फिटनेश दिनांक 17/11/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8640	00111/2014	26/06/2024	17/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2024	22/06/2020	01/08/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2746 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RANDHIR KR SINGH

Father's Name- S/O SHANKAR SINGH

Address- A/P-RAJA BAZAR JEHANABAD VILL-PIRMEKER TOLA

DADANPUR MOKAR SARAN BIHAR 804408

Mobile No.- 6203375510

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR25A9465 परमिट संख्या BR2022-SC-0878A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR25A9465 का फिटनेश दिनांक 18/11/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR25A9465	BR2022-SC-0878A	19/04/2027	18/11/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/10/2023	26/02/2024	17/10/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2747 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RUTU SHARMA

Father's Name- W/O RANVIR KUMAR

Address- AT- MADHAUL SUSTA MADHOPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 8212000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA0240 परमिट संख्या 0206/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA0240 का फिटनेश दिनांक 21/11/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0240	0206/2014	04/10/2024	21/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/07/2024	11/11/2022	03/05/2025	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2748 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

HARI BANS NARAYAN SINGH

Father's Name- S/O R S SINGH

**Address- AT BRAHAMPURA PO MIT PS BRAHAMPURA MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 843220**

Mobile No.- 9572927111

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA5121 परमिट संख्या 150/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA5121 का फिटनेश दिनांक 29/11/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5121	150/2019	11/04/2024	29/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/01/2024	11/07/2024	15/04/2025	12/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2749 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

CHANDRABHUSHAN SINGH

Father's Name- LATE KAMAL SINGH

Address- WARD NO-13 KURWA MATHIA KUMARBAG PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845450

Mobile No.- 7004703026

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या UP65AT0001 परमिट संख्या BR2022-SC-0156A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या UP65AT0001 का फिटनेश दिनांक 15/12/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
UP65AT0001	BR2022-SC-0156A	13/01/2027	15/12/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/12/2023	29/01/2024	01/08/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2750 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAM BABU RAI

Father's Name- RAM NARESH RAI

**Address- GURDA GAUSNAGAR RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI
BIHAR 844520**

Mobile No.- 8421986961

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P3861 परमिट संख्या
BR2020-SC-0257A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3861 का फिटनेश दिनांक 24/12/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3861	BR2020-SC-0257A	08/03/2025	24/12/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/11/2023	07/10/2023	07/02/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2751 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

KRISHNANDAN MAHTO

Father's Name- UMA SHANKAR MAHTO

Address- KARHARWA SINGHWAHINI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR

845405

Mobile No.- 9709543297

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P3076 परमिट संख्या 476/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3076 का फिटनेश दिनांक 28/12/2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3076	476/2019	15/09/2024	28/12/2022


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/07/2024	07/03/2024	24/07/2024	31/01/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2752 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

CHAND BIBI

Father's Name- MD.PARVEJ ALAM

Address- MARIPUR FARQUEE CLY. KAZIMOHMADPUR MUZ

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 7658623240

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PA0583** परमिट संख्या **057/2014** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA0583 का फिटनेश दिनांक 04/01/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0583	057/2014	16/06/2024	04/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/11/2022	21/11/2022	09/10/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2753 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MADHAV SHARMA

Father's Name- S/O MAHESH SHARMA

Address- VILL PO KHABRA NH 28 PS SADAR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 7992420750

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB8851 परमिट संख्या 082/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB8851 का फिटनेश दिनांक 16/02/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB8851	082/2019	07/04/2024	16/02/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/07/2024	20/06/2024	31/01/2025	13/08/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2754 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SMT.POONAM GUPTA

Father's Name- W/O -KAMLESH KUMAR

Address- AT/PO-CHUHADI PS-CHANPATIYA AT-PO-CHUADI BETTIAH
PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845401

Mobile No.- 7717753940

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR22P0585 परमिट संख्या 14/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P0585 का फिटनेश दिनांक 02/03/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P0585	14/2014	10/06/2024	02/03/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/06/2024	19/07/2022	01/10/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2755 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RANVEER KUMAR

Father's Name- S/O SHATRUGHAN THAKUR

Address- AT MADHAUL PO SUSTA MADHOPUR PS KURHANI

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 9144580000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PC1440** परमिट संख्या **0204/2014** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC1440 का फिटनेश दिनांक 16/03/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC1440	0204/2014	04/10/2024	16/03/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/08/2024	30/11/2021	03/05/2025	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2756 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

GEETA DEVI

Father's Name- W/O ANIL KUMAR GUPTA

Address- VILL- KESARIYA .PO- KESARIYA E CHAMPARAN E CHAMPARAN
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845405

Mobile No.- 9162066951

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA6048 परमिट संख्या
572/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA6048 का फिटनेश दिनांक
23/03/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान
अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA6048	572/2019	30/09/2024	23/03/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/07/2024	04/08/2023	09/08/2024	18/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है।
अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13
यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा
कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा
आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने
का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर
महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने
बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान
के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक
जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन
का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के
वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन
है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त
वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा
लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार
होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2757 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

ARVIND KUMAR

Father's Name- S/O RAM PRIT RAY

Address- AT MAHUA SINGHRAI PO PS MAHUA VAISHALI VAISHALI

BIHAR 999999

Mobile No.- 9835285283

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PB7167** परमिट संख्या **240/2019** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB7167 का फिटनेश दिनांक 04/04/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB7167	240/2019	18/06/2024	04/04/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/09/2024	09/02/2021	05/02/2025	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2758 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

HARI BANSH NARAYAN SINGH

Father's Name- S/O -RAM SEWAK SINGH

Address- AT-BRAHAMPURA PO-MIT PS-MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

ROHTAS BIHAR 821115

Mobile No.- 9798076608

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR24P3102 परमिट संख्या BR2021-SC-0692A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR24P3102 का फिटनेश दिनांक 25/04/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR24P3102	BR2021-SC-0692A	24/03/2026	25/04/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/07/2024	15/03/2022	10/06/2025	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2759 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MAHIP KUMAR

Father's Name- S/O RAM NR SINGH

**Address- VILL MAHAMADPUR DAMODAR PO MAHAMADPUR BADAL PS
SAKRA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001**

Mobile No.- 9006581351

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB8763 परमिट संख्या
00265/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB8763 का फिटनेश दिनांक 15/05/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB8763	00265/2014	08/10/2024	15/05/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/08/2024	03/11/2024	30/09/2024	10/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2760 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VINITA DEVI

Father's Name- W/O -MANOJ KUMAR

Address- AP-RAJIV KUMAR AT-BEL BAGH COLONY BETTIAH PASHCHIM
CHAMPARAN BIHAR 845438

Mobile No.- 7261090094

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR22Q7071 परमिट संख्या BR2021-SC-1016A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22Q7071 का फिटनेश दिनांक 26/05/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22Q7071	BR2021-SC-1016A	09/06/2026	26/05/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/08/2024	06/05/2023	07/12/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2761 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

KAMAL KISHOR KUMAR

Father's Name- S/O UPENDRA PD YADAV

Address- AT SHALIGRAMI PO SAHEBGANJ KAMAL BEGUSARAI

BEGUSARAI BIHAR 999999

Mobile No.- 8989100000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PC8992** परमिट संख्या **466/2019** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC8992 का फिटनेश दिनांक 02/06/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8992	466/2019	13/09/2024	02/06/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/08/2022	15/10/2021	06/12/2021	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2762 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

Father's Name- I/C ALOK KUMAR SINGH

Address- NH 77 KOLHUA DADAR NEW ZERO MILE AHIYAPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mobile No.- 9431238216

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD8716 परमिट संख्या 383/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD8716 का फिटनेश दिनांक 03/06/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8716	383/2019	11/09/2024	03/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/09/2022	08/06/2022	05/03/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2763 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SMT.VINITA DEVI

Father's Name- MANOJ KUMAR

Address- HN-157 PAHADPUR PAHADPUR E.CHAMPARAN PURBA

CHAMPARAN BIHAR 999999

Mobile No.- 7800000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P4227 परमिट संख्या BR2021-SC-0347A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4227 का फिटनेश दिनांक 14/06/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4227	BR2021-SC-0347A	25/02/2026	14/06/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/07/2024	09/06/2021	08/04/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2764 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SHREE KANT PANDEY

Father's Name- S/O BHARAT PANDEY

**Address- 10.TOWN/VILL- HARDIYA ANCHAL-ARERAJ MOTIHARIE
CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 999999**

Mobile No.- 7800000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA5328 परमिट संख्या BR/106/SC/246/2012 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA5328 का फिटनेश दिनांक 15/06/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5328	BR/106/SC/246/2012	16/06/2027	15/06/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/08/2024	19/07/2024	02/06/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2765 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

Father's Name- S/O C/O-PROP ALOK KUMAR SINGH

Address- N H 77 KOLHUA DADAR AHYAPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 8989000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD1116 परमिट संख्या BR2021-SC-0095A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD1116 का फिटनेश दिनांक 18/06/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD1116	BR2021-SC-0095A	28/01/2026	18/06/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/05/2022	09/06/2022	08/09/2022	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2766 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MAHESH RAY

Father's Name- S/O VALESHWAR RAY

Address- VILL BARADIHA TURKI ANCHAL- PATEPUR HAZIPUR

VAISHALI VAISHALI BIHAR 999999

Mobile No.- 9980000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB0285 परमिट संख्या BR/106/SC/143/2012 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB0285 का फिटनेश दिनांक 24/06/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB0285	BR/106/SC/143/2012	23/03/2027	24/06/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/08/2023	20/02/2024	25/08/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2767 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

Father's Name- I/C ALOK KUMAR SINGH

Address- NH 77 KOLHUA DADAR NEW ZERO MILE AHIYAPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mobile No.- 9431238216

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD8916 परमिट संख्या 021/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD8916 का फिटनेश दिनांक 25/06/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8916	021/2019	07/04/2024	25/06/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/12/2023	30/11/2024	30/03/2023	08/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2768 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MD.ISODULLAH & OTHERS

Father's Name- ABDUL KALAM

Address- AMODEI RAMGARDHWA E.CHAMPARAN BIHAR 999999

Mobile No.- 6283781313

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P3656 परमिट संख्या 474/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3656 का फिटनेश दिनांक 28/07/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3656	474/2019	15/09/2024	28/07/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/03/2024	19/07/2023	09/01/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2769 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

DULARI DEVI

Father's Name- W/O - RAM NARESH SINGH

**Address- SUSHILA SADAN PRABHAT ZARDA FACTORY ROAD EAST
CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 842001**

Mobile No.- 7541829069

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB1653 परमिट संख्या 050/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB1653 का फिटनेश दिनांक 01/08/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB1653	050/2019	07/04/2024	01/08/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/06/2024	19/12/2024	17/04/2024	17/09/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2770 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SATYA NARAYAN RAI

Father's Name- VINDA RAI

Address- 175 GURUDAH GURUDAH SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 999999

Mobile No.- 7890000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P4222 परमिट संख्या BR2020-SC-0046A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4222 का फिटनेश दिनांक 10/08/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4222	BR2020-SC-0046A	13/01/2025	10/08/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/07/2024	28/07/2024	07/02/2024	04/08/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2771 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

DAMODAR RAY

Father's Name- S/O DEOKI RAY

Address- 177.AT- SHAHPUR MARICHA ANCHAL- KUDHANI

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 8989898900

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA1580 परमिट संख्या BR/106/SC/402/2012 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA1580 का फिटनेश दिनांक 15/08/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA1580	BR/106/SC/402/2012	02/10/2027	15/08/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/08/2024	22/06/2022	29/07/2024	23/08/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2772 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

HARIBANSH NR SINGH

Father's Name- S/O R S SINGH

Address- AT BRAHAMPURA PO-MIT MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842003

Mobile No.- 9430253400

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P5642 परमिट संख्या 14/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5642 का फिटनेश दिनांक 21/08/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5642	14/2019	11/04/2024	21/08/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/08/2024	05/02/2024	02/08/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2773 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

HARIVANS NR SINGH

Father's Name- S/O RAMESHWAR SINGH

Address- AT - SANJAY CINEMA ROAD BRAHMPUTRA MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 800145

Mobile No.- 9572827111

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR38B7871 परमिट संख्या 148/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR38B7871 का फिटनेश दिनांक 26/08/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR38B7871	148/2019	11/04/2024	26/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/08/2024	17/03/2022	04/11/2022	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2774 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SABITA DEVI

Father's Name- RAVINDRA SINGH

Address- SISWA PAHARPUR PAHARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR

845401

Mobile No.- 8292713018

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR05P5381 परमिट संख्या 344/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P5381 का फिटनेश दिनांक 28/08/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P5381	344/2019	07/09/2024	28/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/07/2024	22/01/2023	07/08/2024	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2775 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

ABHISHEK KUMAR

Father's Name- RAMESHAR SINGH

**Address- CHACK KANCHANPUR RAHIMAPUR BIDUPUR VAISHALI BIHAR
844502**

Mobile No.- 9334488625

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR1PA1661 परमिट संख्या
BR2022-SC-0823A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1PA1661 का फिटनेश दिनांक 02/09/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR1PA1661	BR2022-SC-0823A	17/04/2027	02/09/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/07/2024	21/12/2024	02/12/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2776 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

Father's Name- I/C C/O PRO ALOK KUMAR SINGH

Address- AT N H 77 KOLHUA DADAR NEW ZERO MILE AHYAPUR

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 7294022129

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD2216 परमिट संख्या BR2020-SC-0318A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD2216 का फिटनेश दिनांक 23/09/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD2216	BR2020-SC-0318A	16/03/2025	23/09/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/12/2023	31/10/2023	14/09/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2777 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH

Father's Name- LATE KRISHNA SINGH

Address- VILL SAHWAJPUR PO BHIKHANPUR PS AHIYAPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842004

Mobile No.- 8862902732

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P3957 परमिट संख्या BR2023-SC-0269A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3957 का फिटनेश दिनांक 25/09/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3957	BR2023-SC-0269A	16/01/2028	25/09/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/08/2024	31/12/2023	18/09/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2778 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NANDAN KUMAR DUBEY

Father's Name- BINAY SHANKAR DUBEY

Address- TARWARA MORE SIWAN BIHAR 802010

Mobile No.- 8809454002

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR29PA6085 परमिट संख्या BR2023-SC-0232A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA6085 का फिटनेश दिनांक 28/09/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29PA6085	BR2023-SC-0232A	13/01/2028	28/09/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/05/2023	01/05/2024	15/05/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2779 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AMRESH KUMAR

Father's Name- S/O THAKUR RAJKISHOR SHARMA

Address- H NO-19 MOH DAMUCHAK DAMUCHAK MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 6299921802

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC9591 परमिट संख्या 238/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC9591 का फिटनेश दिनांक 03/10/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9591	238/2019	05/06/2024	03/10/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/11/2021	21/09/2022	26/03/2022	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2780 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MR NAWAL KISHOR RAY

Father's Name- JAGDEEP RAY

Address- AT RAMPUR HARI POST RAMPUR HARI MINAPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 843117

Mobile No.- 9504954461

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE5261 परमिट संख्या BR2020-SC-0254A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE5261 का फिटनेश दिनांक 09/10/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5261	BR2020-SC-0254A	08/03/2025	09/10/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/07/2024	02/10/2022	21/06/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2781 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

USHA DEVI

Father's Name- PRADEEP KUMAR SINGH

Address- AT-LAXMIPUR WARD NO-01 PARSOUNA PARSOUNA BHITAHA
PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845404

Mobile No.- 7321987645

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PE8445** परमिट संख्या **BR2023-SC-0679A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE8445 का फिटनेश दिनांक 15/10/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8445	BR2023-SC-0679A	01/03/2028	15/10/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	12/10/2024	05/09/2024	26/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2782 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MITHILESH KR.MISHRA

Father's Name- LT.HEMKANT MISHRA

Address- SAHWAJPUR RIGA SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 845401

Mobile No.- 9934888543

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P4137 परमिट संख्या 484/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4137 का फिटनेश दिनांक 03/11/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4137	484/2019	15/09/2024	03/11/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	08/10/2021	29/11/2023	16/11/2023

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2783 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NARENDRA K.SINGH

Father's Name- LR.S.P.NR.SINGH

Address- SUNDARPUR KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845405

Mobile No.- 9835045648

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P4792 परमिट संख्या 217/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4792 का फिटनेश दिनांक 21/11/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4792	217/2019	23/04/2024	21/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/06/2024	29/05/2025	29/11/2024	28/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2784 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SANJAY KUMAR SINGH

Father's Name- S/O -BHAVAN SINGH

**Address- AT-RAJA BAZAR PO/PS-MOTIHARI DIST-EAST CHAMPARAN
MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401**

Mobile No.- 9431409793

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR05P5493 परमिट संख्या 0236/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P5493 का फिटनेश दिनांक 22/11/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P5493	0236/2019	13/06/2024	22/11/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/06/2024	02/03/2023	15/11/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2785 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MD USHMAN

Father's Name- S/O MD GONAUD ANSARI

Address- 134 WARD NO 20 TOWN SITAMARHI SITAMARHI SITAMARHI

BIHAR 843302

Mobile No.- 7654361841

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR30P0466 परमिट संख्या BR/SC/106/685/2011 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30P0466 का फिटनेश दिनांक 04/12/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30P0466	BR/SC/106/685/2 011	18/10/2026	04/12/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/08/2024	29/11/2023	16/07/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2786 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAVI RANJAN KR.JHA

Father's Name- HEMCHANDRA JHA

Address- HN-93 BRLSAND BELSAND SITAMARHI SITAMARHI BIHAR

999999

Mobile No.- 9800000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P4425 परमिट संख्या 0618/2009 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4425 का फिटनेश दिनांक 05/12/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4425	0618/2009	17/11/2024	05/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/08/2024	08/06/2024	25/04/2024	24/10/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2787 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NEELAM KUMARI

Father's Name- W/O AJIT KUMAR JHA

Address- JAGESHWAR BHAWAN SITAMARHI SITAMARHI SITAMARHI

BIHAR 843302

Mobile No.- 9939061618

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR30B6197 परमिट संख्या 0105/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30B6197 का फिटनेश दिनांक 13/12/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30B6197	0105/2014	26/06/2024	13/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/08/2024	05/10/2021	28/12/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2788 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MANISH KUMAR U/T BSRTC

Father's Name- S/O- DEVENDRA KUMAR SINGH

**Address- AT- MUKUT NIWAS, CHANDMARI ROAD LOHIYA
NAGAR, KANKARBAGH PATNA BIHAR 800020**

Mobile No.- 9431476758

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PK9422 परमिट संख्या BR/106/SC/315/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PK9422 का फिटनेश दिनांक 19/12/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PK9422	BR/106/SC/315/2 014	05/11/2024	19/12/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/08/2024	09/11/2023	15/12/2023	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2789 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

ARUNA DEVI

Father's Name- AWADHESH KUMAR DUBAY

Address- RAJEPUR LAURIA GOVINDGUNJ E.CHAMPARAN PURBA

CHAMPARAN BIHAR 999999

Mobile No.- 9430641531

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P8307 परमिट संख्या 0088/2010 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P8307 का फिटनेश दिनांक 20/12/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8307	0088/2010	30/01/2025	20/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/06/2023	23/09/2022	08/01/2023	23/08/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2790 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SANJAY KR.DIWEDI

Father's Name- MURAT DUBEY

Address- ARERAJ GOVINDGANJ E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845405

Mobile No.- 9430826026

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P5294 परमिट संख्या 000068/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5294 का फिटनेश दिनांक 21/12/2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5294	000068/2014	18/06/2024	21/12/2023


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/06/2024	03/03/2023	13/05/2023	16/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2791 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MAHESH KUMAR

Father's Name- LT.YAMUNA PD.THAKUR

Address- BARIDASPUR KANTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mobile No.- 7980000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06P3074** परमिट संख्या **085/2014** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3074 का फिटनेश दिनांक 17/01/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3074	085/2014	18/06/2024	17/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/07/2024	12/12/2023	25/01/2024	17/01/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2792 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VINA DEVI

Father's Name- LATE VIJAY SINGH

Address- AT- HARDIYABAD POST- DAMODARPUR PS- PIPRA PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845416

Mobile No.- 9973312911

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PA0634** परमिट संख्या **BR2023-SC-2887A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA0634 का फिटनेश दिनांक 17/01/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0634	BR2023-SC-2887A	05/10/2028	17/01/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/05/2024	10/02/2025	25/10/2024	24/01/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2793 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

HUSNA ARA

Father's Name- MUNNA ANSARI

Address- ADD WARD NO 19 BANGRA SUGAULI PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845456

Mobile No.- 8809454002

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE7329 परमिट संख्या BR2021-SC-0332A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE7329 का फिटनेश दिनांक 30/01/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7329	BR2021-SC-0332A	24/02/2026	30/01/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2023	15/01/2023	24/01/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2794 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MAHIP KUMAR

Father's Name- SRI RAM NARAYAN SINGH

Address- MAHAMADPUR MDPUR BADAL DAMODAR SAKRA

MUZAFFARPUR BIHAR 843119

Mobile No.- 9006581351

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE7411 परमिट संख्या BR2021-SC-0708A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE7411 का फिटनेश दिनांक 31/01/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7411	BR2021-SC-0708A	26/03/2026	31/01/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/07/2024	03/01/2025	16/07/2024	06/02/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2795 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

ASHFAK AHMED

Father's Name- EAJUL HAQUE

**Address- MADNANI LANE PS MITHANPURA MUZAFFARPUR BIHAR
MUZAFFARPUR BIHAR 842002**

Mobile No.- 7766865601

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P6948 परमिट संख्या BR2023-SC-1453A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6948 का फिटनेश दिनांक 02/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P6948	BR2023-SC-1453A	15/05/2028	02/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/08/2024	23/11/2024	04/08/2024	27/01/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2796 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MADHUBALA DEVI

Father's Name- W/O MAHINRA KR.DEWEDY

Address- RAJEPUR GOVINDGANJ E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845405

Mobile No.- 7254926105

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06P8848** परमिट संख्या **000067/2014** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P8848 का फिटनेश दिनांक 05/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8848	000067/2014	18/06/2024	05/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/07/2024	29/01/2025	20/01/2024	30/01/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2797 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SMT.GEETA DEVI

Father's Name- ANIL KUMAR

Address- KESARIYA KESARIYA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 999999

Mobile No.- 8989890000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P3208 परमिट संख्या 537/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3208 का फिटनेश दिनांक 05/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3208	537/2019	23/09/2024	05/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/08/2024	06/08/2023	05/08/2023	31/01/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2798 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

UMESH RAI

Father's Name- LT.NAND KISHORE RAI

Address- SAMAUL SAHPUR RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI

BIHAR 999999

Mobile No.- 7800000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P3961 परमिट संख्या BR2020-SC-0289A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3961 का फिटनेश दिनांक 05/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3961	BR2020-SC-0289A	11/03/2025	05/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/08/2024	13/05/2024	01/08/2024	02/02/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2799 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NAJMA KHATUN

Father's Name- W/O VASHI AKHTAR

Address- 272.AT- CHHATAWNI SPORTS CLUB PS- CHHATAWNI .

MOTIHARI E CHAMPARAN PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845405

Mobile No.- 9985776774

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA9747 परमिट संख्या BR2020-SC-0543A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA9747 का फिटनेश दिनांक 07/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA9747	BR2020-SC-0543A	04/11/2025	07/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/07/2024	30/08/2024	16/08/2024	05/02/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2800 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VIJAY KUMAR SHUKLA

Father's Name- S/O LATE RAM DAS SHUKLA

Address- NAYA TOLA SPEAKER CHOWK MUSAHRI MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mobile No.- 9470000001

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD7851 परमिट संख्या 012/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD7851 का फिटनेश दिनांक 14/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7851	012/2019	07/04/2024	14/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/08/2024	16/03/2025	08/06/2024	14/02/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2801 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VIJAY KUMAR SHUKLA

Father's Name- S/O LATE RAM DAS SHUKLA

**Address- NAYA TOLA SPEAKER CHOWK NAYA TOLA SPEAKER CHOWK
MUZAFFARPUR BIHAR 842001**

Mobile No.- 9470000001

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD7951 परमिट संख्या 007/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD7951 का फिटनेश दिनांक 14/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7951	007/2019	07/04/2024	14/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/08/2024	03/03/2025	11/10/2024	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2802 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- S/O LATE CHANDESHWAR SINGH

**Address- VILL PO CHAHUTA PS AAURAI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842001**

Mobile No.- 9525474566

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC8743 परमिट संख्या
BR2023-SC-0709A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC8743 का फिटनेश दिनांक 14/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8743	BR2023-SC-0709A	02/03/2028	14/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/08/2024	21/11/2023	19/06/2024	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2803 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VIKASH KR SINGH

Father's Name- S/O JALANDHAR SINGH

Address- VILL BATRAULIYA PO BAKHRA PS SARAIYA MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 9525474566

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC8752 परमिट संख्या BR2023-SC-0710A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC8752 का फिटनेश दिनांक 14/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8752	BR2023-SC-0710A	02/03/2028	14/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/08/2024	16/06/2025	21/06/2024	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2804 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- S/O LATE CHANDESHWAR SINGH

**Address- VILL PO CHAHUTA PS AAURAI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842001**

Mobile No.- 9525474566

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC8745 परमिट संख्या
BR2023-SC-1527A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC8745 का फिटनेश दिनांक 14/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8745	BR2023-SC-1527A	23/05/2028	14/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/08/2024	13/12/2024	23/06/2024	31/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2805 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RANI DEVI

Father's Name- W/O RAM DINESH SINGH

Address- AT PO CHAHUTA PS AAURAI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mobile No.- 9525474566

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC8741 परमिट संख्या BR2023-SC-3158A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC8741 का फिटनेश दिनांक 14/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8741	BR2023-SC-3158A	03/11/2028	14/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/08/2024	02/12/2024	23/06/2024	02/10/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2806 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NAWAL KISHORE RAI

Father's Name- JAGDISH RAI

Address- RAMPUR HARI MINAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 9504954461

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P6961 परमिट संख्या BR2023-SC-0331A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6961 का फिटनेश दिनांक 15/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P6961	BR2023-SC-0331A	23/01/2028	15/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/07/2024	14/10/2024	07/12/2024	02/02/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2807 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SUDHIR KISHOR PD SINGH

Father's Name- UMA SHANKAR PD SINGH

Address- SHAMHO SHAMHO BEGUSARAI BIHAR 851129

Mobile No.- 9431817368

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC2625 परमिट संख्या BR/106/SC/BUS/2019/109 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC2625 का फिटनेश दिनांक 16/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC2625	BR/106/SC/BUS/ 2019/109	19/12/2024	16/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/07/2024	10/03/2025	06/07/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2808 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

HEMANT KUMAR

Father's Name- DILIP KUMAR THAKUR

Address- ADD POJHIYAN LALGANJ VAISHALI BIHAR 844121

Mobile No.- 9939241968

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR31PA7747 परमिट संख्या BR2023-SC-1865A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31PA7747 का फिटनेश दिनांक 16/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA7747	BR2023-SC-1865A	03/07/2028	16/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/08/2024	20/02/2024	07/01/2024	06/08/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2809 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

JITENDRA SHARMA

Father's Name- S/O CHANDRA BHUSHAN SHARMA

Address- AT LEECHI BAGAN PO KALAM BAGH ROAD MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 9431007414

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PC5066** परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/42** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC5066 का फिटनेश दिनांक 20/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC5066	BR/106/SC/BUS/ 2019/42	10/12/2024	20/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/08/2024	14/05/2024	03/09/2022	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2810 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AWADHESH KUMAR

Father's Name- NAND KISHORE SINGH

Address- BHAGWANPUR CHAUK MUZ MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mobile No.- 7890000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06D9596 परमिट संख्या 415/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06D9596 का फिटनेश दिनांक 21/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06D9596	415/2019	13/09/2024	21/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/07/2024	26/02/2024	20/07/2024	09/02/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2811 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAJ KISHOR RAI

Father's Name- S/O DVARIK RAI

Address- AT- H,NO -154 DIGHI KHURD HAJIPUR VAISHALI VAISHALI

BIHAR 999999

Mobile No.- 9835283449

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR31P5097 परमिट संख्या BR2020-SC-0505A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31P5097 का फिटनेश दिनांक 21/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P5097	BR2020-SC-0505A	28/09/2025	21/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/06/2024	28/02/2025	06/06/2023	19/02/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2812/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

Address- PARIVHAL BHAWAN BIR CHAND PATEL PATH PATNA PATNA
BIHAR 800001

Mobile No.- 6287529036

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PH3549 परमिट संख्या BR2023-SC-2385A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PH3549 का फिटनेश दिनांक 22/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH3549	BR2023-SC-2385A	31/08/2028	22/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/10/2024	02/07/2024	21/06/2025	30/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2813 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

**Address- PARIVAHAN BHAWAN BIRCHAND PATEL PATH PATNA PATNA
BIHAR 800001**

Mobile No.- 7322936339

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PH3551 परमिट संख्या
BR2023-SC-0341A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PH3551 का फिटनेश दिनांक 23/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH3551	BR2023-SC-0341A	24/01/2028	23/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/09/2024	02/07/2024	28/07/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2814 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

Address- PARIVAHAN BHAWAN BIRCHAND PATEL PATH PATNA PATNA
BIHAR 800001

Mobile No.- 7322936339

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PH3546 परमिट संख्या BR2023-SC-0835A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PH3546 का फिटनेश दिनांक 23/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH3546	BR2023-SC-0835A	10/03/2028	23/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/06/2024	02/07/2024	27/07/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2815 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

Address- PARIVHAL BHAWAN BIR CHAND PATEL PATH PATNA PATNA
BIHAR 800001

Mobile No.- 7322936339

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PH3558 परमिट संख्या BR2023-SC-0834A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PH3558 का फिटनेश दिनांक 23/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH3558	BR2023-SC-0834A	10/03/2028	23/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/07/2024	02/07/2024	27/07/2024	27/10/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2816/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

Address- PARIVHAN BHAWAN BIR CHAND PATEL PATH PATNA PATNA

BIHAR 800001

Mobile No.- 7322936339

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PH3385 परमिट संख्या BR2023-SC-0881A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PH3385 का फिटनेश दिनांक 23/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH3385	BR2023-SC-0881A	14/03/2028	23/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/06/2024	02/07/2024	10/03/2024	19/10/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2817 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

**Address- AT BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA
PATNA BIHAR 800001**

Mobile No.- 7766865601

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PH4312 परमिट संख्या
BR2023-SC-0346A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PH4312 का फिटनेश दिनांक 26/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4312	BR2023-SC-0346A	24/01/2028	26/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/07/2024	02/07/2024	06/07/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2818 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

**Address- AT BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA
PATNA BIHAR 800001**

Mobile No.- 7322936339

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PH4313 परमिट संख्या
BR2023-SC-0339A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PH4313 का फिटनेश दिनांक 26/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4313	BR2023-SC-0339A	24/01/2028	26/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/07/2024	02/07/2024	27/07/2024	28/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2819 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

**Address- BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA PATNA
BIHAR 800001**

Mobile No.- 7322936339

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PH4374 परमिट संख्या
BR2023-SC-0836A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PH4374 का फिटनेश दिनांक 29/02/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4374	BR2023-SC-0836A	10/03/2028	29/02/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/07/2024	02/07/2024	27/07/2024	06/09/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2820 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAJ KISHOR RAI

Father's Name- S/O DUARIK RAI

**Address- AT- H.NO 154 DIGHI KHURD PO- HAJIPUR VAISHALI VAISHALI
BIHAR 999999**

Mobile No.- 9835283449

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR31P5095 परमिट संख्या
BR2021-SC-0951A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31P5095 का फिटनेश दिनांक 01/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P5095	BR2021-SC-0951A	02/05/2026	01/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/06/2024	28/02/2025	28/10/2023	20/02/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2821 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NISHANT CHANDRA

Father's Name- S/O- LATE DHARMENDRA PRASAD

Address- AT- KOLHACHAK DHANARUA SAIN PATNA BIHAR 804451

Mobile No.- 7004799500

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PN8951 परमिट संख्या BR2023-SC-2230A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PN8951 का फिटनेश दिनांक 02/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PN8951	BR2023-SC-2230A	06/08/2028	02/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/10/2023	14/02/2024	15/03/2024	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2822 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

ARVIND KUMAR RAI

Father's Name- S/O GAGDISH RAI

Address- KARHATIA LALGANJ VAISHALI VAISHALI BIHAR 999999

Mobile No.- 8890000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P3057 परमिट संख्या 0345/2009 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3057 का फिटनेश दिनांक 03/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3057	0345/2009	25/08/2024	03/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/07/2024	19/04/2025	15/09/2024	22/02/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2823 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AMBICA TRAVELS

Father's Name- PROP. - SEEMA SINGH

Address- SHEKHPUR AKHARAGHAT MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mobile No.- 8986211811

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PF3196 परमिट संख्या BR2022-SC-1102A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF3196 का फिटनेश दिनांक 06/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF3196	BR2022-SC-1102A	08/05/2027	06/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	27/02/2025	22/02/2025	15/09/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2824 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AWADHESH KUMAR TIWARI U/LA BSRTC

Father's Name- SHREE KANT TIWARI

Address- CHADARAHYA ARERAJ PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mobile No.- 8709372551

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE8241 परमिट संख्या BR2022-SC-2433A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE8241 का फिटनेश दिनांक 06/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8241	BR2022-SC-2433A	14/11/2027	06/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/08/2024	20/03/2023	14/11/2023	18/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2825 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VARTIKA SINGH

Father's Name- CHANDAN KUMAR SINGH

**Address- AT- WARD NO 09 MAIN ROAD RAXAUL MAHADEVA MARKET
NEAR BATA SHOW ROOM EAST CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR
845305**

Mobile No.- 9818165303

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR03PA0702 परमिट संख्या BR2023-SC-2882A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR03PA0702 का फिटनेश दिनांक 07/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR03PA0702	BR2023-SC-2882A	05/10/2028	07/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/09/2024	16/08/2024	08/09/2024	28/07/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2826 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SUNIL KR SHARMA

Father's Name- S/O DHURB LAL SHARMA

Address- AT- ATARDAH ,PO- MUZAFFARPUR PS- MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 7890000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PA5729** परमिट संख्या **BR/106/SC/686/2011** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA5729 का फिटनेश दिनांक 11/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5729	BR/106/SC/686/2011	19/10/2026	11/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/08/2024	19/01/2025	29/12/2024	10/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2827 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- S/O LT CHANDESHAR SINGH

Address- VILL PO CHAHUTA PS AURAI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mobile No.- 9525474566

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC8744 परमिट संख्या BR2020-SC-0326A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC8744 का फिटनेश दिनांक 13/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8744	BR2020-SC-0326A	16/03/2025	13/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/08/2024	10/06/2025	27/12/2024	29/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2828 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

KUMARI KIRAN BHARTI

Father's Name- RADHESHYAM RAY

Address- SAHPUR MARICHA MANIYARI MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 8877089195

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA6743 परमिट संख्या BR2021-SC-2079A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA6743 का फिटनेश दिनांक 14/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA6743	BR2021-SC-2079A	26/09/2026	14/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/06/2024	05/03/2024	24/07/2023	16/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2829 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VIJAY KUMAR SINGH

Father's Name- S/O SINGESHWAR SINGH

Address- KAJIGPUR PATNACITY PATNA BIHAR 800008

Mobile No.- 8936858365

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR1PA0911 परमिट संख्या BR2022-SC-0462A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1PA0911 का फिटनेश दिनांक 14/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR1PA0911	BR2022-SC-0462A	02/03/2027	14/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/07/2024	05/11/2023	11/10/2024	09/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2830 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAJNISH PANDEY

Father's Name- NAVAL PANDEY

Address- AT LAURIYA PO LAURIYA PS GOVINDGANJ PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845411

Mobile No.- 9199088786

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR05P9601** परमिट संख्या **BR2022-SC-2406A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P9601 का फिटनेश दिनांक 14/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P9601	BR2022-SC-2406A	10/11/2027	14/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/08/2024	13/01/2024	26/12/2023	05/02/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2831 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

GAURAV RAJ

Father's Name- S/O PRADIP KEDIYA

Address- NAKA NO 01 PUPRI NAGAR PANCHAYAT PUPRI SITAMARHI

BIHAR 843320

Mobile No.- 8002386464

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD6566 परमिट संख्या BR2020-SC-0404A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD6566 का फिटनेश दिनांक 15/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD6566	BR2020-SC-0404A	05/06/2025	15/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/08/2024	16/04/2025	12/04/2025	05/10/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2832 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

GODAVARI DEVI

Father's Name- W/O RAGHWESH KUMAR

Address- AT 101 BRAHMPURA ANCHAL MUSHAHARI MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 9572893111

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB9839 परमिट संख्या 00250/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB9839 का फिटनेश दिनांक 16/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB9839	00250/2014	07/10/2024	16/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/07/2024	02/03/2024	05/03/2025	01/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2833 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SANTOSH KUMAR RAI

Father's Name- S/O -RAVINDRA ROY

Address- AT-BILASAPUR RAMNAGAR ANCHAL-PIPRASI BETTIAH

PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845101

Mobile No.- 9973149751

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR22P6825 परमिट संख्या BR/106/SC/BUS/2019/58 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P6825 का फिटनेश दिनांक 16/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P6825	BR/106/SC/BUS/ 2019/58	12/12/2024	16/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/07/2024	07/02/2025	10/07/2023	14/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2834 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

UDAY SHANKER PD SINGH

Father's Name- S/O LT DHARMADEV PD SINGH

**Address- AT- MAJHAULI .PS- SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999**

Mobile No.- 9471665407

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA5835 परमिट संख्या
BR/106/SC/561/2011 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA5835 का फिटनेश दिनांक 19/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5835	BR/106/SC/561/2 011	05/09/2026	19/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/06/2024	16/02/2025	05/10/2024	12/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2835 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAM JATAN SINGH

Father's Name- S/O LATE RAM LAKHAN SINGH

Address- AT-CHAK KANCHANPUR, PO-RAHIMAPUR PS-BIDUPUR

VAISHALI VAISHALI BIHAR 999999

Mobile No.- 9561028582

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR31P8494** परमिट संख्या **BR2021-SC-1041A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31P8494 का फिटनेश दिनांक 23/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P8494	BR2021-SC-1041A	15/06/2026	23/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/06/2024	09/02/2025	03/07/2024	13/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2836 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

DAMODAR RAY

Father's Name- S/O DEOKI RAY

**Address- SHAHPUR MARICHA KUDHANI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842001**

Mobile No.- 7980000000

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P4874 परमिट संख्या
364/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4874 का फिटनेश दिनांक 24/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4874	364/2019	09/09/2024	24/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/06/2024	20/01/2024	06/08/2024	02/02/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2837 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SUMUKH SAURABH

Father's Name- S/O KAILASH MISHRA

**Address- BHERIYAH I SOTI BHERIAHI MUSAHRI MUZAFFARPUR BIHAR
843109**

Mobile No.- 6206193096

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD7296 परमिट संख्या
BR2022-SC-0139A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD7296 का फिटनेश दिनांक 27/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7296	BR2022-SC-0139A	13/01/2027	27/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/06/2024	13/12/2024	30/01/2025	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2838 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

KEDAR SINGH

Father's Name- S/O LATE YOGENDRA SINGH

Address- CHHATAUINE TARIYANI SHEOHAR SHEOHAR BIHAR 999999

Mobile No.- 8862902732

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06P6636** परमिट संख्या **BR2022-SC-1068A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6636 का फिटनेश दिनांक 31/03/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P6636	BR2022-SC-1068A	01/05/2027	31/03/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/08/2024	25/03/2024	08/07/2024	16/11/2024

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2839 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

REETA DEVI

Father's Name- CHANDRASHEKHAR SINGH

Address- AT-BAKHRA PO-BAKHRA PS-SARAIYA MUZAFFARPUR BIHAR

843101

Mobile No.- 8789541678

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P9781 परमिट संख्या BR2023-SC-0078A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P9781 का फिटनेश दिनांक 04/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P9781	BR2023-SC-0078A	08/01/2028	04/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/07/2024	22/09/2024	19/10/2024	15/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2840 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

BINOD KUMAR

Father's Name- S/O CHHOTALAL CHOUDHARY

**Address- VILL+ DADHUA, PO- SUKKI PS- PATEPUR HAJIPUR VAISHALI
VAISHALI BIHAR 843114**

Mobile No.- 8271058373

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR31P5822 परमिट संख्या
BR2022-SC-0386A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31P5822 का फिटनेश दिनांक 05/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P5822	BR2022-SC-0386A	20/02/2027	05/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/04/2024	01/05/2024	03/11/2024	02/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2841 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NEETU DEVI

Father's Name- W/O -SUSHIL KUMAR

Address- AT-PAHARPUR MANGURAHA MOTIHARI MOTIHARI PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845458

Mobile No.- 9525474566

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR05PA4117 परमिट संख्या BR2022-SC-2405A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PA4117 का फिटनेश दिनांक 05/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA4117	BR2022-SC-2405A	10/11/2027	05/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/08/2024	29/03/2025	17/10/2024	13/05/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2842 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

S.K.JHA

Father's Name- S/O - A.K.JHA

Address- AT-SAGARPOKHARA PO/PS-BETTIAH BETTIAH PASHCHIM
CHAMPARAN BIHAR 845438

Mobile No.- 8709043755

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR22G4995 परमिट संख्या 00100/2013 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22G4995 का फिटनेश दिनांक 05/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22G4995	00100/2013	06/03/2028	05/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/07/2024	23/03/2024	22/08/2024	24/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2843 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SANJAY KUMAR RAO

Father's Name- RANJIT RAO

Address- LAGUNAHA CHAUTERWA W.CHAMPRAN PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 999999

Mobile No.- 7352277872

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA0145 परमिट संख्या BR2020-SC-0338A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA0145 का फिटनेश दिनांक 07/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0145	BR2020-SC-0338A	16/03/2025	07/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/01/2025	06/02/2024	07/10/2023	29/01/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2844 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

ALOK RANJAN JHA

Father's Name- S/O RAMBHAJAN JHA

**Address- VILL- BEL .PS- BARGENYA SITAMARHI SITAMARHI SITAMARHI
BIHAR 999999**

Mobile No.- 8002109886

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA4651 परमिट संख्या
BR2024-SC-0305A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA4651 का फिटनेश दिनांक 07/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA4651	BR2024-SC-0305A	01/02/2029	07/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/06/2024	06/12/2024	27/12/2024	06/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2845 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AMOD KUMAR

Father's Name- S/O SURENDRA SINGH

Address- VILL VILANDPUR PO DUMARI VAISHALI VAISHALI VAISHALI
BIHAR 999999

Mobile No.- 8898989000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB0674 परमिट संख्या 158/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB0674 का फिटनेश दिनांक 11/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB0674	158/2019	11/04/2024	11/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/09/2024	03/03/2025	17/06/2025	10/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2846 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VARTIKA SINGH

Father's Name- CHANDAN KUMAR SINGH

Address- MAIN ROAD RAXAUL MAHADEVA MARKET NEAR BATA SHOW ROOM RAJ COMMUNICATION PURBA CHAMPARAN BIHAR 845305

Mobile No.- 9525474566

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR03PA9309 परमिट संख्या BR2023-SC-2884A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR03PA9309 का फिटनेश दिनांक 11/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR03PA9309	BR2023-SC-2884A	05/10/2028	11/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/09/2024	20/06/2025	26/11/2024	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2847 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

HEMA DEVI

Father's Name- W/O -HARI SHANKAR JHA

Address- AT-BELSAND PS-BELSAND SITAMARHI BIHAR 999999

Mobile No.- 9304705540

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR553625 परमिट संख्या BR2020-SC-0420A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR553625 का फिटनेश दिनांक 12/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR553625	BR2020-SC-0420A	16/08/2025	12/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/07/2024	30/12/2023	03/08/2024	04/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2848 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

CHANDRAHAS

Father's Name- NAWAL KISHORE SINGH

Address- AKHARAGHAT RD. AHYAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mobile No.- 9980000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06P4358** परमिट संख्या **340/2013** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4358 का फिटनेश दिनांक 12/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4358	340/2013	17/07/2028	12/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/07/2024	21/03/2024	11/10/2023	18/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2849 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

JEEVENDRA KR CHAURASIYA

Father's Name- SHUKDEO PRASAD CHAURASIYA

**Address- ADD NEAR RALLWAY GUMTI BELA GOLA HARINAGAR WARD
NO 20 PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845103**

Mobile No.- 8540095549

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PF4325 परमिट संख्या
BR2022-SC-2408A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF4325 का फिटनेश दिनांक 15/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4325	BR2022-SC-2408A	10/11/2027	15/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/06/2024	26/04/2024	26/04/2024	20/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2850 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAJKISHOR SAH

Father's Name- RAMBABU SAH

**Address- PARSAUNI MAILWAAR PARSAUNI WARD NO 15 PARSAUNI
SITAMARHI BIHAR 843325**

Mobile No.- 7250544598

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PF3437 परमिट संख्या
BR2022-SC-2411A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF3437 का फिटनेश दिनांक 15/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF3437	BR2022-SC-2411A	11/11/2027	15/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/06/2023	30/03/2024	15/04/2023	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2851 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

ARBIND KR JAISWAL

Father's Name- S/O RAJENDRA PRASAD JAISWAL

Address- YARPUR KHAGAU RD, PS- GARDANIBAGH PATNA PATNA

BIHAR 999999

Mobile No.- 9264409501

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR01PC1457** परमिट संख्या **BR2023-SC-1662A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PC1457 का फिटनेश दिनांक 16/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PC1457	BR2023-SC-1662A	08/06/2028	16/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/05/2024	22/03/2024	18/02/2025	23/01/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2852 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MUKESH OJHA

Father's Name- S/O JANGBAHADUR OJHA

Address- VILL+PO-PATAHI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 9835294276

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PA7973** परमिट संख्या **BR2023-SC-0855A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA7973 का फिटनेश दिनांक 20/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7973	BR2023-SC-0855A	10/03/2028	20/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/07/2024	12/03/2024	12/10/2023	04/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2853 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MUKESH KUMAR

Father's Name- S/O LT JANG BAHADUR OJHA

Address- AT PO PATAHI PS SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 9835294276

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PB8374** परमिट संख्या **BR2023-SC-1874A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB8374 का फिटनेश दिनांक 20/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB8374	BR2023-SC-1874A	03/07/2028	20/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/07/2024	19/04/2024	12/10/2023	04/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2854 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MAHIP KUMAR

Father's Name- S/O- RAMNARAYAN SINGH

Address- AT- MOHAMMADPUR DAMODAR M.BADAL DHOLI(MORAU)

MUZAFFARPUR BIHAR 843114

Mobile No.- 9006581351

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PF5211 परमिट संख्या BR2022-SC-2436A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF5211 का फिटनेश दिनांक 21/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5211	BR2022-SC-2436A	15/11/2027	21/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/06/2024	30/03/2025	03/05/2025	07/05/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2855 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

ALOK KUMAR

Father's Name- RAM SHARNAGAT SINGH

Address- ATHARI GARGATTA RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI

BIHAR 999999

Mobile No.- 7667097765

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06P7563** परमिट संख्या **412/2009** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P7563 का फिटनेश दिनांक 25/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P7563	412/2009	11/09/2024	25/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/06/2024	07/06/2025	17/07/2023	25/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2856 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VINAY KUMAR SINGH

Father's Name- JAGNATH SINGH

Address- WARD NO 26, RAGHUNATHPURI SITAMARHI MAHSAUL URF
RAMPUR LACHMI SITAMARHI BIHAR 843302

Mobile No.- 9709543297

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA8151 परमिट संख्या BR/106/SC/405/2008 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA8151 का फिटनेश दिनांक 27/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8151	BR/106/SC/405/2008	20/09/2028	27/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/07/2024	26/06/2025	25/11/2024	16/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2857 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR RAY

Father's Name- SHIV DAYAL RAY

Address- MAHUA RAM RAE MAHUA VAISHALI VAISHALI VAISHALI

BIHAR 844122

Mobile No.- 9835093921

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR30PA4210 परमिट संख्या BR2024-SC-0326A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30PA4210 का फिटनेश दिनांक 29/04/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA4210	BR2024-SC-0326A	01/02/2029	29/04/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/07/2024	16/04/2024	22/09/2024	29/10/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2858 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

CHANDAN KUMAR

Father's Name- KUMOD SINGH

Address- ADD JAFARABAD TOLA VIRNDAWAN KHANJAHAN CHAK URF SAIDENPUR VAISHALI BIHAR 844121

Mobile No.- 7004703026

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PF9951 परमिट संख्या BR2023-SC-0686A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF9951 का फिटनेश दिनांक 04/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF9951	BR2023-SC-0686A	01/03/2028	04/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/07/2024	24/04/2024	02/05/2025	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2859 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH

Father's Name- S/O RAM DAYAL SINGH

Address- KAHATPUR BALIYA BEGUSARAI BEGUSARAI BEGUSARAI

BIHAR 999999

Mobile No.- 9430065899

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P4116 परमिट संख्या BR/SC/106/629/2011 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4116 का फिटनेश दिनांक 05/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4116	BR/SC/106/629/2 011	01/10/2026	05/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/09/2024	18/04/2025	24/06/2024	20/02/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2860 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VIKASH KUMAR

Father's Name- GAJENDRA PD.

Address- RAJENDRA NAGAR CHHATAUNI E.CHAMPARAN PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845431

Mobile No.- 9955345359

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06P7096** परमिट संख्या **0564/2009** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P7096 का फिटनेश दिनांक 09/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P7096	0564/2009	29/10/2024	09/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/08/2024	24/01/2025	18/09/2024	04/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2861 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SMT.VEENA DEVI

Father's Name- GAJENDRA PRASAD

Address- RAJENDRA NAGAR MOTIHARI E.CHAMPRAN PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845405

Mobile No.- 8968769600

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P8696 परमिट संख्या 0132/2010 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P8696 का फिटनेश दिनांक 09/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8696	0132/2010	09/02/2025	09/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/07/2024	19/04/2025	18/09/2024	04/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2862 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

UDAY SINGH

Father's Name- S/O LT KAMAL SINGH

Address- VILL PO KURWA MATHIYA PS CHANPATIYA W CHAMPARAN
PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845405

Mobile No.- 7079969791

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC2278 परमिट संख्या 000012/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC2278 का फिटनेश दिनांक 11/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC2278	000012/2014	10/06/2024	11/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/08/2024	25/04/2025	01/04/2025	11/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2863 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

JEEVENDRA KR CHAURASIYA

Father's Name- SHUKDEO PRASAD CHAURASIYA

**Address- ADD NEAR RALLWAY GUMTI BELA GOLA HARINAGAR WARD
NO 20 PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845103**

Mobile No.- 8540095549

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PF6125 परमिट संख्या
BR2023-SC-0142A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF6125 का फिटनेश दिनांक 12/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF6125	BR2023-SC-0142A	09/01/2028	12/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/08/2024	12/06/2025	27/05/2025	20/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2864 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SANTOSH KUMAR RAI

Father's Name- LATE RAVINDRA PRASAD RAI

**Address- WARD NO 18 BILASPUR LALKOTHI PO HARINAGAR RAMNAGAR
PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845106**

Mobile No.- 9973149751

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PF7425 परमिट संख्या
BR2023-SC-0140A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF7425 का फिटनेश दिनांक 12/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF7425	BR2023-SC-0140A	09/01/2028	12/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/07/2024	09/05/2025	26/05/2025	19/09/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2865 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SANTOSH KUMAR RAI

Father's Name- LATE RAVINDRA PRASAD RAI

**Address- WARD NO 18 BILASPUR LALKOTHI PO HARINAGAR RAMNAGAR
PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845106**

Mobile No.- 9973149751

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PF8625 परमिट संख्या
BR2023-SC-2953A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF8625 का फिटनेश दिनांक 12/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF8625	BR2023-SC-2953A	13/10/2028	12/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/07/2024	09/05/2025	26/05/2025	26/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2866 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RENU MISHRA

Father's Name- W/O SATYADENDRA MISHRA

Address- AT- RAJA BAZAR PO/PS- MOTIHARI MOTIHARI PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845401

Mobile No.- 9771129685

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR05P2205 परमिट संख्या BR2020-SC-0351A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P2205 का फिटनेश दिनांक 15/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P2205	BR2020-SC-0351A	17/03/2025	15/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/06/2024	11/04/2024	11/04/2024	04/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2867 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

JITENDRA KUMAR

Father's Name- LATE SONA LAL PRASAD

Address- MAIN ROAD KOIRIYA TOLA SONA TALKIES RAXAUL RAXAUL
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845305

Mobile No.- 9431294355

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PA2955** परमिट संख्या **0508/2013** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA2955 का फिटनेश दिनांक 16/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA2955	0508/2013	09/10/2028	16/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/04/2024	21/09/2024	05/04/2024	04/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2868 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

KUMAR ARYA

Father's Name- S/O -GOPI CHANDRA SAH

Address- AT/PO-CHUHARI PS-CHANPATIA BETTIAH PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845438

Mobile No.- 9708651520

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR22P1895 परमिट संख्या 0113/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1895 का फिटनेश दिनांक 17/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P1895	0113/2014	28/06/2024	17/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/06/2024	11/05/2024	01/04/2025	20/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2869 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAVINDRA YADAV

Father's Name- S/O LALBACHAN YADAV

Address- VILL- VISHNPURA GOPALGANJ GOPALGANJ GOPALGANJ BIHAR 999999

Mobile No.- 6205797375

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA4597 परमिट संख्या BR2021-SC-2090A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA4597 का फिटनेश दिनांक 18/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA4597	BR2021-SC-2090A	26/09/2026	18/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/06/2024	03/03/2024	25/04/2025	15/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2870 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SANJIV KUMAR

Father's Name- S/O SHRI NATH RAY

Address- CHAINPURA CHAINPUR SITAMARHI BIHAR 843320

Mobile No.- 6299157502

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE8158 परमिट संख्या BR2024-SC-0325A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE8158 का फिटनेश दिनांक 19/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8158	BR2024-SC-0325A	01/02/2029	19/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/09/2024	19/05/2024	22/06/2024	08/01/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2871 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

DEVENDRA KUMAR GUPTA

Father's Name- S/O -JAI PRAKASH NARAYAN

**Address- VILL-49 TIKULIYA ANCHAL-CHANPATIYA BETTIAH PASHCHIM
CHAMPARAN BIHAR 845438**

Mobile No.- 9708651520

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR22P2112 परमिट संख्या
066/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P2112 का फिटनेश दिनांक 24/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P2112	066/2014	18/06/2024	24/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/09/2024	03/05/2024	01/04/2025	09/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2872 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VANDANA KUMARI

Father's Name- MANOJ KUMAR

Address- MARSAND PO MANANPUR PS RUNNISAIDPUR SITAMARHI
SITAMARHI BIHAR 999999

Mobile No.- 9431258462

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P4586 परमिट संख्या BR2023-SC-2284A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4586 का फिटनेश दिनांक 28/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4586	BR2023-SC-2284A	11/08/2028	28/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/09/2023	25/05/2024	27/11/2023	27/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2873 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SHIV DAYAL RAY

Father's Name- S/O ZARILAL RAI

Address- AT PO MAHUA VAISHALI VAISHALI VAISHALI BIHAR 999999

Mobile No.- 9980000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB5591 परमिट संख्या 0165/2013 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB5591 का फिटनेश दिनांक 30/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB5591	0165/2013	09/06/2028	30/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/07/2024	19/12/2022	26/07/2024	26/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2874 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SHIV DAYAL RAI

Father's Name- S/O ZARILAL RAI

Address- AT PO MAHUA VAISHALI VAISHALI VAISHALI BIHAR 999999

Mobile No.- 9939760392

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB5592 परमिट संख्या 000232/2013 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB5592 का फिटनेश दिनांक 30/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB5592	000232/2013	29/06/2028	30/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/07/2024	24/04/2020	26/07/2024	26/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2875 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

DEEPANSHU RAO

Father's Name- VIJAY RAO

Address- VILL- CHANDRAUL WARD NO 01 PO PS - NAWALPUR PASHCHIM
CHAMPARAN BIHAR 845452

Mobile No.- 7004858039

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR45P1425 परमिट संख्या
BR2023-SC-1891A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR45P1425 का फिटनेश दिनांक 30/05/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR45P1425	BR2023-SC-1891A	04/07/2028	30/05/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/07/2024	31/05/2025	24/08/2024	05/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2876 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NEERAJ KUMAR

Father's Name- S/O RAM SURAT SINGH

Address- AT NEURI PS RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI BIHAR

843321

Mobile No.- 9504954461

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC2261 परमिट संख्या BR2023-SC-0332A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC2261 का फिटनेश दिनांक 01/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC2261	BR2023-SC-0332A	23/01/2028	01/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/08/2024	15/09/2024	25/09/2024	27/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2877 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAKESH KR JHA

Father's Name- S/O RAGHUNATH JHA

Address- AT NAYA TOLA SPEAKAR CHOWK MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 7488287099

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC9651 परमिट संख्या BR2021-SC-2087A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC9651 का फिटनेश दिनांक 02/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9651	BR2021-SC-2087A	26/09/2026	02/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/08/2024	10/03/2024	19/09/2024	14/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2878 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

EDEN TRANSPORT PVT LTD

Father's Name- I/C EDEN TRANSPORT PVT LTD

**Address- BIHAR STATE ROAD TRANSPORT COMPUND GANDHI MAIDAN,
BANKIPUR PATNA PATNA BIHAR 999999**

Mobile No.- 7277008121

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR01PC4591 परमिट संख्या BR2022-SC-1063A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PC4591 का फिटनेश दिनांक 02/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PC4591	BR2022-SC-1063A	29/04/2027	02/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/05/2024	01/03/2024	14/06/2025	02/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2879 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VIJAY KR JHA

Father's Name- S/O LT CHANDRIKA JHA

Address- AT PO MADHURAPUR PS BIDUPUR VAISHALI VAISHALI BIHAR
999999

Mobile No.- 9973666239

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC7707 परमिट संख्या BR2023-SC-2243A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC7707 का फिटनेश दिनांक 03/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC7707	BR2023-SC-2243A	08/08/2028	03/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/08/2024	12/05/2024	19/02/2025	17/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2880 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VIJAY KR JHA

Father's Name- S/O LT CHANDRIKA JHA

Address- AT PO MADHURAPUR PS BIDUPUR VAISHALI VAISHALI BIHAR
999999

Mobile No.- 9631413307

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC7907 परमिट संख्या BR2023-SC-2326A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC7907 का फिटनेश दिनांक 03/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC7907	BR2023-SC-2326A	18/08/2028	03/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/08/2024	25/04/2024	19/02/2025	05/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2881 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

PRABHATCHANDRA PRASAD

Father's Name- S/O - SAKALDEV PRASAD

**Address- AT- BHAVANIPUR ANCHAL- SANGRAMPUR MOTIHARI PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845434**

Mobile No.- 9608830080

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR05PA2925 परमिट संख्या
BR2022-SC-0492A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PA2925 का फिटनेश दिनांक 05/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA2925	BR2022-SC-0492A	06/03/2027	05/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/07/2024	13/07/2023	05/08/2024	31/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2882/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAJESH TIWARI

Father's Name- S/O -NAGENDRA TIWARI

**Address- AT-PO-PS-743 - ARERAJ DIST- EAST CHAMPARAN MOTIHARI
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401**

Mobile No.- 9608830080

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR05P4401 परमिट संख्या
BR2023-SC-1889A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P4401 का फिटनेश दिनांक 05/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P4401	BR2023-SC-1889A	04/07/2028	05/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/08/2024	08/02/2024	30/05/2024	31/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2883 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AMRESH KUMAR

Father's Name- RAGHO PRASAD SINGH

**Address- CHANDPUR, ALAMPURA KUSAIRI BIDUPUR VAISHALI BIHAR
844502**

Mobile No.- 7979753895

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR31PA4368 परमिट संख्या
024/2018 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31PA4368 का फिटनेश दिनांक 05/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA4368	024/2018	27/10/2028	05/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/10/2024	12/02/2025	31/12/2024	26/02/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2884 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VINOD KUMAR

Father's Name- S/O CHHOTE LAL CHAUDHARY

Address- VILL DADHUA ANCHAL PATEPUR VAISHALI VAISHALI BIHAR

844111

Mobile No.- 9525474566

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB2043 परमिट संख्या BR2023-SC-2184A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB2043 का फिटनेश दिनांक 06/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB2043	BR2023-SC-2184A	31/07/2028	06/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/06/2024	06/07/2024	24/11/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2885 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VIJAY YADAV

Father's Name- LAXMAN YADAV

Address- SIRISIYA PO BEHARI BANKAT PS SIKTA PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845307

Mobile No.- 9718318109

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA0740 परमिट संख्या BR2023-SC-3376A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA0740 का फिटनेश दिनांक 06/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0740	BR2023-SC-3376A	07/12/2028	06/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/09/2024	13/09/2024	27/11/2024	24/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2886 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AMRESH RAO

Father's Name- DWARIKA RAO

**Address- VILL-CHANDRAUL PO-NAWALPUR PS-NAWALPUR PASHCHIM
CHAMPARAN BIHAR 845452**

Mobile No.- 8809547394

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR45P1439 परमिट संख्या
BR2024-SC-0051A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR45P1439 का फिटनेश दिनांक 06/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR45P1439	BR2024-SC-0051A	05/01/2029	06/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/08/2024	26/04/2025	04/10/2024	30/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2887 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RITU SHARMA

Father's Name- W/O RANVEER KUMAR

Address- MATHIA JIRAT CHHATAUNI MOTIHARI PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845401

Mobile No.- 9471480440

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR05PA8040** परमिट संख्या **048/2019** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PA8040 का फिटनेश दिनांक 07/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA8040	048/2019	07/04/2024	07/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/07/2024	20/02/2024	02/06/2024	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2888 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

BHOA KUMAR

Father's Name- ANAND PRAKASH

**Address- PURANI BAZAR SIKARPUR W.CHAMPRAN PURBA CHAMPARAN
BIHAR 999999**

Mobile No.- 7890000000

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06P4271 परमिट संख्या
BR2021-SC-0277A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4271 का फिटनेश दिनांक 08/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4271	BR2021-SC-0277A	17/02/2026	08/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/09/2024	26/05/2024	17/10/2024	23/07/2024

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2889 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

GUPTA TRANSPORT

Father's Name- M/S PAT BALENDRA RAI

Address- PROP AMAR PANDEY AT EXHIBITION ROAD PATNA PATNA

BIHAR 999999

Mobile No.- 9334902252

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PC2151** परमिट संख्या **BR2023-SC-2178A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC2151 का फिटनेश दिनांक 08/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC2151	BR2023-SC-2178A	31/07/2028	08/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/09/2024	18/06/2025	13/08/2024	30/04/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2890 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NEHA KUMARI

Father's Name- D/O ANAND PRAKASH

Address- AP- BHAGWATPUR PATEDHA VAISHALI HAJIPUR VAISHALI

BIHAR 999999

Mobile No.- 9431093537

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR31P9221 परमिट संख्या 00027/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31P9221 का फिटनेश दिनांक 12/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P9221	00027/2014	15/06/2024	12/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/08/2024	01/02/2024	13/07/2024	16/01/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2891 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AMAR JOYTI TRAVELS

Father's Name- S/O 00000000

Address- AT EXIBHITION ROAD PATNA PATNA BIHAR 999999

Mobile No.- 9980000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD3651 परमिट संख्या BR/106/SC/143/2011 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD3651 का फिटनेश दिनांक 12/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD3651	BR/106/SC/143/2 011	19/02/2026	12/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/07/2024	05/07/2023	06/02/2024	19/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2892 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

SHIV CHANDRA SINGH

Father's Name- S/O JAGARNATH PD SINGH

**Address- AT SRI KRISHNAPURI BHAGWANPUR CHOWK PS SADAR
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999**

Mobile No.- 9939411096

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC9496 परमिट संख्या 000256/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC9496 का फिटनेश दिनांक 13/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9496	000256/2014	07/10/2024	13/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/09/2024	02/10/2024	09/06/2025	06/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2893 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- CHANDESHWAR SINGH

Address- WARD NO 10 CHIHUTA MUZAFFARPUR BIHAR 843312

Mobile No.- 9525474566

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE4962 परमिट संख्या BR/106/SC/BUS/2019/51 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE4962 का फिटनेश दिनांक 14/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4962	BR/106/SC/BUS/ 2019/51	12/12/2024	14/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/06/2024	15/03/2025	10/06/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2894 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VIKASH KUMAR

Father's Name- JALANDHAR SINGH

**Address- BATRAULIA BISAULI BAKHRA SARAIYA MUZAFFARPUR BIHAR
843101**

Mobile No.- 9525474566

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE5793 परमिट संख्या
BR/106/SC/BUS/2019/49 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE5793 का फिटनेश दिनांक 14/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5793	BR/106/SC/BUS/ 2019/49	12/12/2024	14/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/08/2024	13/12/2024	17/01/2025	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2895 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- CHANDESHWAR SINGH

Address- WARD NO 10 CHIHUTA MUZAFFARPUR BIHAR 843312

Mobile No.- 9525474566

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE5043 परमिट संख्या BR2020-SC-0334A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE5043 का फिटनेश दिनांक 14/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5043	BR2020-SC-0334A	16/03/2025	14/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/09/2024	15/03/2025	07/02/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2896 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VEDPRAKASH PANDEY

Father's Name- S/O -JANARDHAN PANDEY

Address- STATION CHOWK BETTIAH BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 845438

Mobile No.- 7261090094

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR22P3789 परमिट संख्या BR2021-SC-0044A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P3789 का फिटनेश दिनांक 14/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P3789	BR2021-SC-0044A	20/01/2026	14/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/08/2024	03/04/2025	04/07/2024	24/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2897 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

GUPTA TRANSPORT COMPANY

Father's Name- NA

Address- PANDEY PALZA EXHIBITION ROAD PATNA PATNA BIHAR

800001

Mobile No.- 9334902252

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD9451 परमिट संख्या 0309/2013 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD9451 का फिटनेश दिनांक 14/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9451	0309/2013	04/07/2028	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/08/2024	28/04/2025	20/09/2024	17/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2898 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAUSHAN KUMAR

Father's Name- BRAJ MOHAN PRASAD

Address- 136, GH, NAVRATANPUR INDRA NAGAR, PO PATNA 20 PATNA
BIHAR 999999

Mobile No.- 8271058373

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR1PA0904** परमिट संख्या **194/2019** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1PA0904 का फिटनेश दिनांक 15/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR1PA0904	194/2019	17/04/2024	15/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/07/2024	13/06/2024	04/10/2024	15/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2899 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

CHANDRA BHUSAN SINGH

Father's Name- KAMAL SINGH

Address- WARD NO 13 KURWA MATHIYA BETTIAH PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845450

Mobile No.- 9708651520

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या UP86T1027 परमिट संख्या 507/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या UP86T1027 का फिटनेश दिनांक 15/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
UP86T1027	507/2019	18/09/2024	15/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/09/2024	28/05/2025	01/10/2024	14/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2900 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

AIT KUMAR

Father's Name- S/O SURESH PRASAD SINGH

Address- AT MAGHAR PO SAGHAR SULTANPUR PS BHAGWANPUR

SIWAN SIWAN BIHAR 999999

Mobile No.- 9771915145

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC8838 परमिट संख्या 000301/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC8838 का फिटनेश दिनांक 15/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8838	000301/2014	19/10/2024	15/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/06/2024	22/07/2023	13/11/2023	12/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2901 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

PAPPU KUMAR SINGH

Father's Name- S/O RAM JATAN SINGH

**Address- AT- KANCHANPUR PO- RAHIMAPUR PS- BIDUPUR VAISHALI
VAISHALI BIHAR 999999**

Mobile No.- 8936858365

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR31P1453 परमिट संख्या
BR2021-SC-1040A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31P1453 का फिटनेश दिनांक 15/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P1453	BR2021-SC-1040A	15/06/2026	15/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/08/2024	02/02/2024	18/06/2024	26/03/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2902 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

GYAN BARDHAN KUMAR

Father's Name- S/O KUSHESHWAR MISHRA

Address- AT- BHERIYAH SOTI PO- HARIDASPUR PS- KANTI

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 8002093396

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA7796 परमिट संख्या 0292/2013 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA7796 का फिटनेश दिनांक 15/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7796	0292/2013	03/07/2028	15/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/09/2024	12/06/2024	14/03/2025	15/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2903 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

USHA KUMARI

Father's Name- LT SUDHIR CHANDRA MISHRA

Address- AT-MADHURAPUR PO-MADHURAPUR VAISHALI VAISHALI

BIHAR 803236

Mobile No.- 9661732343

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR31AD9107** परमिट संख्या **280/2019** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31AD9107 का फिटनेश दिनांक 16/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31AD9107	280/2019	05/09/2024	16/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/09/2024	27/05/2023	15/12/2023	N/A

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2904 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VIKASH KUMAR

Father's Name- JALANDHAR SINGH

Address- BATRAULIYA BAKHRA SARAIYA MUZAFFARPUR BIHAR 843101

Mobile No.- 9525474566

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE6438 परमिट संख्या BR/106/SC/BUS/2019/99 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE6438 का फिटनेश दिनांक 16/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6438	BR/106/SC/BUS/ 2019/99	18/12/2024	16/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/09/2024	17/05/2025	10/06/2024	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2905 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

NAND KISHOR SINGH

Father's Name- S/O LT YODUNANDAN SINGH

Address- AT MARWA PAKAR CHAUBE AMBARA SARAIYA MUZAFFARPUR
BIHAR 843101

Mobile No.- 9431007611

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PC5879** परमिट संख्या **0193/2008** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC5879 का फिटनेश दिनांक 16/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC5879	0193/2008	05/06/2028	16/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/08/2024	09/06/2025	02/07/2024	05/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2906 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MD KHALIS

Father's Name- SANAULLAH MIYAN

Address- VILL CHARWA PO CHARWA PS RAMGAHRWA PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845433

Mobile No.- 9818165303

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PE3904 परमिट संख्या BR2023-SC-2877A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE3904 का फिटनेश दिनांक 16/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE3904	BR2023-SC-2877A	05/10/2028	16/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/07/2024	20/06/2024	22/06/2025	04/09/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2907 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

CHANDAN KUMAR

Father's Name- S/O NAVAL KISHOR RAY

Address- AT RAMPUR HARI PS MINAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842001

Mobile No.- 9504954461

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PC2461** परमिट संख्या **BR2023-SC-2541A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC2461 का फिटनेश दिनांक 17/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC2461	BR2023-SC-2541A	07/09/2028	17/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/09/2024	27/02/2025	07/06/2025	06/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2908 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

JITESH KR TIWARI

Father's Name- S/O BALESHWAR TIWARI

**Address- VILL PO BALMIKINAGAR W CHAMPARAN W CHAMPARAN
PURBA CHAMPARAN BIHAR 999999**

Mobile No.- 9162850645

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC4545 परमिट संख्या
232/2019 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC4545 का फिटनेश दिनांक 18/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC4545	232/2019	08/06/2024	18/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/08/2024	13/12/2024	03/09/2024	16/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2909 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

USHA DEVI

Father's Name- PRADEEP KUMAR SINGH

Address- AT-LAXMIPUR PARSAUNA WARD NO-01 PO-PARSAUNA PS-BHITAHARA PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845404

Mobile No.- 9162850645

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PC4445** परमिट संख्या **BR2023-SC-0848A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC4445 का फिटनेश दिनांक 18/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC4445	BR2023-SC-0848A	10/03/2028	18/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/08/2024	13/12/2024	03/09/2024	18/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2910 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

KRISHNA SINGH

Father's Name- BHUP NARAYAN SINGH

Address- JAGDISHPUR WARD NO-04 JAGDISHPUR PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845459

Mobile No.- 9718318109

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06P5301** परमिट संख्या **BR2023-SC-1830A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5301 का फिटनेश दिनांक 18/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5301	BR2023-SC-1830A	27/06/2028	18/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/09/2024	02/05/2024	26/01/2024	05/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2911 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

Father's Name- M/S PRO ALOK KUMAR SINGH

Address- S/O SURESH KR SINGH .KOLUHA DADAR AHIYAPUR

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 7890000000

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PB2316 परमिट संख्या 081/2014 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB2316 का फिटनेश दिनांक 20/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB2316	081/2014	19/06/2024	20/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/07/2024	10/07/2024	20/06/2025	07/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2912 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR

Father's Name- CHANDRA BHUSHAN SINGH

Address- PAHARPUR PAHARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR 845458

Mobile No.- 9771710009

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PD7271 परमिट संख्या BR/106/SC/BUS/2019/117 के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD7271 का फिटनेश दिनांक 20/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7271	BR/106/SC/BUS/ 2019/117	26/12/2024	20/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/08/2024	30/07/2024	10/06/2025	NA

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2913 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MADHUKAR KUMAR

Father's Name- S/O BAIDYANATH PD SINHA

Address- VILL- MADHAUL.PO- SUSTA MADHOPUR.PS- KUDHANI

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mobile No.- 7004703026

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या **BR06PA5001** परमिट संख्या **BR2020-SC-0513A** के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA5001 का फिटनेश दिनांक 20/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5001	BR2020-SC-0513A	30/09/2025	20/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/06/2024	18/06/2025	16/11/2024	16/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2914 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VINA DEVI

Father's Name- W/O LATE VIJAY SINGH

Address- HARDIYABAD PS-PIPPA ANCHAL-CHAKIA MUZAFFARPUR

BIHAR 845416

Mobile No.- 9973312911

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PA6034 परमिट संख्या BR2023-SC-2510A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA6034 का फिटनेश दिनांक 20/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA6034	BR2023-SC-2510A	05/09/2028	20/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/07/2024	26/02/2025	22/07/2024	03/05/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2915 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MR. VINAY KUMAR CHAUBEY

Father's Name- S/O- VISHNU CHAUBEY

Address- AT- GOVINDGANJ NAWADA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mobile No.- 9673915116

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR05PB6135 परमिट संख्या BR2024-SC-0320A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PB6135 का फिटनेश दिनांक 20/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB6135	BR2024-SC-0320A	01/02/2029	20/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/09/2024	17/06/2025	03/10/2024	05/11/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2916/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

MR. VINAY KUMAR CHAUBEY

Father's Name- S/O- VISHNU CHAUBEY

Address- AT- GOVINDGANJ NAWADA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mobile No.- 9673915116

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR05PB6137 परमिट संख्या BR2023-SC-0712A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PB6137 का फिटनेश दिनांक 21/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB6137	BR2023-SC-0712A	02/03/2028	21/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/09/2024	17/06/2025	03/10/2024	05/11/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2917 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

VARTIKA SINGH

Father's Name- CHANDAN KUMAR SINGH

**Address- W/O CHANDAN KUMAR SINGH MAIN ROAD RAXAUL
MAHADEVA MARKET NR BATA SHOW ROOM PURBA CHAMPARAN BIHAR
845305**

Mobile No.- 7992470454

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR45P2234 परमिट संख्या BR2023-SC-3181A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR45P2234 का फिटनेश दिनांक 21/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR45P2234	BR2023-SC-3181A	06/11/2028	21/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/09/2024	27/08/2024	19/07/2024	30/07/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2918 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

KAUSHAL KISHOR JHA

Father's Name- S/O RAJENDRA JHA

Address- AT PO SHEKHPUR PS AHYARPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mobile No.- 8969858188

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC2536 परमिट संख्या BR2021-SC-2298A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC2536 का फिटनेश दिनांक 22/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC2536	BR2021-SC-2298A	15/10/2026	22/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/09/2024	01/07/2024	13/08/2024	19/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2919 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAJNISH SAHI

Father's Name- S/O HARSH NR SAHI

**Address- VILL PO BALMIKINAGAR PS BALMIKINAGAR W CHAMPARAN
PURBA CHAMPARAN BIHAR 999999**

Mobile No.- 9162850645

**विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PC4345 परमिट संख्या
BR2023-SC-3120A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC4345 का फिटनेश दिनांक 22/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC4345	BR2023-SC-3120A	01/11/2028	22/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/08/2024	18/03/2025	03/09/2024	15/06/2025

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 2920 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-01-07-2024

प्रेषित,

RAMESH KUMAR

Father's Name- VISHWA NATH THAKUR

Address- WARD NO 02 AIRTEL TOWER KISHUNNAGAR, KANTI

MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mobile No.- 9931694653

विषय:- आपके वाहन का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण वाहन संख्या BR06PF3740 परमिट संख्या BR2023-SC-1834A के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF3740 का फिटनेश दिनांक 23/06/2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF3740	BR2023-SC-1834A	29/06/2028	23/06/2024


टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/06/2024	21/06/2025	09/05/2025	17/03/2026

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 10 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


01.07.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।